



2026:AHC-LKO:7511-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 12436 सन 2025

प्रियव्रत चतुर्वेदी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, विमल किशोर पाठक
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. राज्य के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जिसकी एक शाखा मेसर्स टांडा वाइंडिंग सेल है की ओर से उपस्थित श्री रघुवंशी ने सूचित किया है कि इस रिट याचिका में जिस वसूली प्रमाण पत्र के प्रवर्तन की मांग की गई है, उसे रिट याचिका संख्या 3143 (एम/एस) सन 2003 में पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया था। 8 जुलाई 2014 को उक्त रिट याचिका कार्यवाही न होने के कारण खारिज कर दी गई और अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया। हालांकि, इसके बाद उक्त आदेश को वापस लेने और रिट याचिका को बहाल करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, जो लंबित है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इन तथ्यों से अनभिज्ञ होने का दावा करते हैं। कंप्यूटर रिकॉर्ड में वापसी आवेदन के लंबित होने का प्रमाण है।
3. हम इस स्तर पर इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. श्री रघुवंशी द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में दायर की गई वापसी आवेदन संख्या 08/2023 वाली याचिका को 16 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
5. रजिस्ट्री आवश्यक कार्रवाई करे।
6. निस्तारित की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फरवरी 2, 2026

एम.वी.एस./-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।